संख्या–675/9–आ–3–2001 –42 विविध/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0।
2. **समस्त उपाध्यक्ष,**
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 16 अप्रैल, 2001

विषय : फिल्म नीति 1999 के अनुरूप मल्टीप्लैक्स/छविग्रहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना एंव मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4218/9–आ–3–99–42 विविध/99 दिनांक 14–12–2000 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश में मल्टीप्लेक्स के भुखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर तथा भू–आच्छादन 40 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 1.2 अनुमन्य किया गया है। इसी शासनादेश में यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित भूखण्डों पर छविगृह तथा वाणिज्यिक एवं मनोरंजन क्रियाओं का अनुपात नीलामी की शर्तों के अनुसार अनुमन्य होगा किन्तु इस शासनादेश में मल्टीप्लेक्स हेतु भूखण्ड के न्यूनतम क्षेत्रफल, भ–आच्छादन, एफ0ए0आर0 आदि के सम्बंध में यह व्यवस्था नहीं है कि यह भी नीलामी की शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सन्दर्भित एक प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा कौशाम्बी आवासीय योजना में एक भूखण्ड क्षेत्रफल 3043.25 वर्ग मीटर दिनांक 28.9.2000 (शासनादेश दिनांक 14.12.2000 जारी होने के पूर्व) नीलामी द्वारा बेचा गया था जिसमें भू–आच्छादन 40 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 1.50 अनुमन्य किया गया था। इस आधार पर प्राधिकरण द्वारा भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 में शिथिलता की अपेक्षा की गई है।

समग्र स्थिति पर विचारोपरान्त यह उचित पाया गया कि ऐसी स्थिति अन्य प्राधिकरणों में भी आ सकती है और इससे प्राधिकरण के समक्ष विधिक विवाद भी उत्पन्न होने की सम्भावना है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित संशोधन शासनादेश दिनांक 14.12.2000 ऐसे मामलों में, जिनमें कि उक्त शासनादेश जारी होने से पूर्व सम्पादित हुई नीलामी में, यदि नीलामी की शर्तों व शासनादेश में इंगित मानकों में भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी भिन्नता की सीमा तक शासनादेश दिनांक 14.12.2000 की मानक शर्तों के स्थान पर नीलामी की शर्तें ही लागू होंगी। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2000 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। परन्तु भविष्य में कोई भी नीलामी दिनांक 14–12–2000 के शासनादेश में निर्धारित मानकों के अनुसार ही की जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, औद्योगिक विकास एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
4. सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप (फण्ड मैनेजर, फिल्म निधि)।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव

संख्या–एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियंत्रक प्राधिकारियों और नियम प्राधिकारियों को उपर्युक्त निदेशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्था एवं उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव